

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 79 / 2026

राम देव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राहुल कुमार शुक्ला, शिवम श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना गया।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- शम्भू टिकरी, तहसील- पयागपुर, जिला- बहराइच में स्थित भूमि गाटा संख्या 1099 (क्षेत्रफल 0.0320 हेक्टेयर) पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जो सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज है।
3. तहसीलदार, पयागपुर, जिला बहराइच द्वारा दिनांक 28.01.2026 को प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया कि दिनांक 02.02.2026 को अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व दल का गठन पहले ही किया जा चुका था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को प्रदान किए गए दूरभाषिक निर्देशों के आधार पर, उन्होंने बयान दिया है कि प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 09.02.2026 को हटा दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. चूँकि याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण हो गया है, अतः याचिका *निस्तारित* की जाती है।

17 फरवरी, 2026

मु.

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.